आंतरिक सुरक्षा में पुलिस की भूमिका

सारांश

राज्य की अभ्युदय दो प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ है, ऐसा लगभग सभी राजनीतिषास्त्री मानते है। यह दोनों उद्देश्य हैः– सुरक्षा और न्याय। न्याय भी सुरक्षापूर्ण वातावरण में ही सुनिश्चित किया जाता है। अतः राज्य की उत्पत्ति के पीछे मूल भावना सुरक्षा की ही है।

मुख्य शब्द : राजनीतिशास्त्र, सुनिश्चित, सिक्युरिटाज, प्रतिस्पर्धात्मक, आन्तरिक

शिप्रा वर्मा
प्रवक्ता
राजनीतिक विज्ञान
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर

सीमा कुन्द्रा
शोध छात्रा
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर

प्रस्तावना

लैटिन भाषा में सुरक्षा शब्द का पर्यायवाची 'सिक्युरिटाज' है जिसका अर्थ है 'चिन्ता रहित स्थिति' । दूसरे शब्दो में सभी प्रकार के भय और खतरों से मुक्ति, जिससे व्यक्ति तत्कालीन पर्यावरण में स्वयं को भयमुक्त समझते हुए जीवन के मूल्यों को प्राप्त कर सके तथा अपनी इच्छा के अनुसार सर्वांगीण विकास कर सके। अपनी जीवन पद्धति मूल्य संस्कृति एवं सामाजिक संरचना को सुरक्षित व संरक्षित कर सके। इस प्रकार सुरक्षा का भाव उन सभी अंगों तक विस्तृत है जो कि व्यक्ति के भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक कारकों से सम्बन्धित है। इन सभी कारकों के पारस्परिक समवेत भावों से जहां समाज सुरक्षित व विकसित होता है वही इनके बीच संघर्ष व तनाव से वह असुरक्षित, अव्यवस्थित एवं असहज होता है। पारस्परिक सहमति को समाज के बाह्य व आन्तरिक दोनों ही पर्यावरण से चुनौती मिलती है। किन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि जब तक आन्तरिक पर्यावरण सहज नहीं होगा तब तक बाह्य पर्यावरण भी शान्ति उत्पन्न नहीं कर सकेगा। अतः आन्तरिक पर्यावरण को सहज बनाये रखना किसी भी समाज की पारस्परिक जिम्मेदारी है।[1]

जिस समाज में प्रतिस्पर्धात्मक शक्तियाँ रहती है वहां संघर्ष और तनाव होना अकल्पनीय नहीं है। परिणामतः असुरक्षा का भाव समाज में बना रहता है। यह भी एक परिकल्पना है कि ज्यो–ज्यो विकास की ओर व्यक्ति अग्रसर होता है असुरक्षा बढ़ती है। अतः स्वयं को सुरक्षित रखने के क्रम में समाज ने राज्य नामक संस्था को प्रजन्मित और विकसित किया है, और बाह्य वातावरण में सुरक्षा बनाये रखने में जहां सेना का उपयोग करता है, वही आन्तरिक वातावरण में सुरक्षा बनाये रखने में वे पुलिस और अद्धैसैनिक बलों का प्रयोग कर रहा है।[2]

राष्ट्रीयता की भावना एवं एकता ही राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार है, किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा उसकी एकता और अखण्ड़ता पर निर्भर करती है। राष्ट्रों को प्रायः सुरक्षा के लिए दो प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है। एक खतरा बाह्य होता है अर्थात् जो विदेशी राष्ट्रों द्वारा उत्पन्न किया जाता है लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण खतरा आन्तरिक अवयवों से होता है।[3]

आन्तरिक सुरक्षा को चुनौती व्यक्ति संगठित समूह अथवा असंयमित भीड़ से मिलती है। व्यक्ति समूह में जाति, धर्म, रंग, वंश, क्षेत्र, भाषा और ऐसे ही अनेकों हितों के कारण पहले संगठित होते है और फिर स्वयं हित समूह हित और वर्चस्व की भावना से सामान्य सामाजिक मर्यादाओं और विधिक अथवा संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लघंन करते हुए सामाजिक एकत्व की प्रक्रिया को इसलिए चुनौती देने लग जाते है ताकि अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में उनका विकास अथवा परिवर्तन शीघ्र हो। किन्तु इस प्रक्रिया में अन्त तक राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्थायित्व एकता को चुनौती प्राप्त होती है और पर्यावरण अशान्तिमय, असंतुलित और अव्यवस्थित हो जाता है इस प्रकार आन्तरिक, असुरक्षा समाज को मिलने वाली उस चुनौती का नाम है जो स्थानीय समुदाय, क्षेत्र सरकार अथवा सम्प्रभुता को उपरोक्त कारणों से प्राप्त होती है। इसे संतुलित रखने के लिये पुलिस एकमात्र संस्था है।[4]

भारत गणराज्य के अस्तित्व को आतंकवाद, अलगावाद, राजनीतिक उग्रवाद, साम्प्रदायिकता, वर्ग संघर्ष और जाति संघर्ष जैसी ताकतों से खतरा बना हुआ है। विरोधी ताकते इस राष्ट्र में विद्यमान असंगतियों तथा विषमताओं का पूरा–पूरा लाभ उठा रही है। ये ताकतें देश में अस्थिरता लाने और फूट

डालने वाली प्रवृत्तियों की ओर भड़काने में प्रयासरत हैं। ऐसी संकट की घड़ी में पुलिस सुरक्षा बल ''राज्य' की सहायता करने के साथ–साथ देश की अखंडता और सम्प्रभुता की सुरक्षा भी करता आ रहा है। अशान्त और गडबड़ी वाले क्षेत्रों में शान्ति बहाल करने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती 'आंतरिक सुरक्षा कार्यवाही (ऑपरेशन) कहलाती है। भारतीय पुलिस बल को इस बात का श्रेय जाता है कि भारतीय पुलिस राष्ट्र के सामने खड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है तथा देश की खातिर हजारों पुलिसकर्मियों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। जब भारत गणराज्य के इन चुनौतियों से भरे दशकों का इतिहास लिखा जाएगा, तब पुलिस बल द्वारा निभाई गई उत्कृष्ट भूमिका का सुनहरे अक्षरों में वर्णन किया जाएगा। परन्तु यह भी एक कटु सत्य है कि पुलिस द्वारा मानवाधिकारों का उल्लघंन भी हुआ है तथा बेगुनाह नागरिको के प्रति अनावश्यक रूप से बल का प्रयोग किया गया है। ये घटनाएँ इतिहास के पन्नों पर काले धब्बे के समान होगी।

एक आम कहावत है कि 'हँसाए का नाम नही होता पर रूलाए का नाम हो जाता है।' यही बात पुलिस पर भी लागू होती है। जब पुलिस ज्यादती करती है तब उसकी तमाम उपलब्धियों, कार्यो पर पानी फिर जाता है।[5]

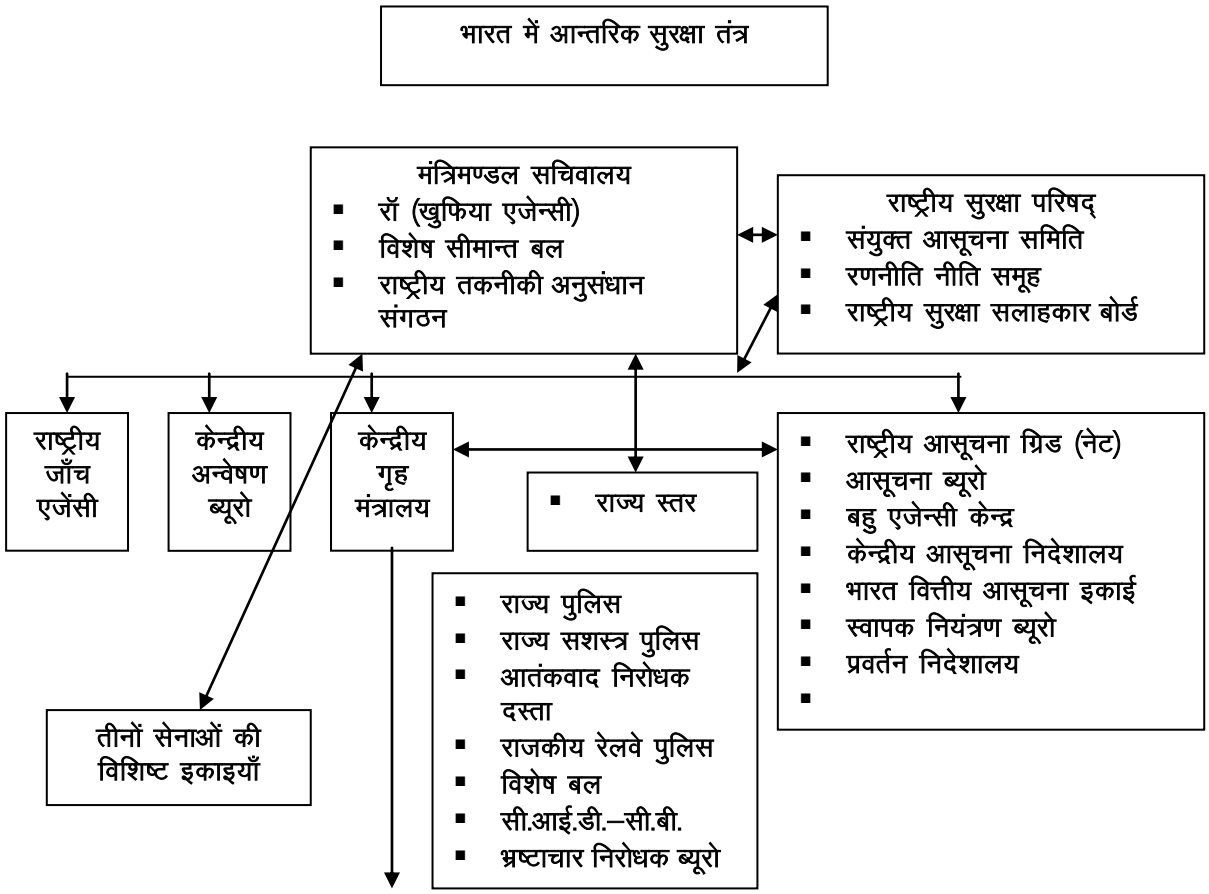

अर्द्ध सैन्य बल	असम राइफल्स सशस्त्र सीमा बल विशेष सुरक्षा बल	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (रैपिड एक्शन फोर्स तथा कोबरा) राष्ट्रीय राइफल्स (मूलतः सैन्य)	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भारत–तिब्बत सीमा सुरक्षा रेलवे सुरक्षा बल (रेलवे बोर्ड)	सीमा सुरक्षा बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड होम गार्ड्स

भारत में आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था

भारत में राष्ट्रीय तथा आन्तरिक सुरक्षा का प्रत्यक्ष एवं मुख्य दायित्व प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय गृहमंत्री के कन्धों पर है। यद्यपि कानून–व्यवस्था एवं पुलिस कार्य राज्य सूची के विषय है। तथापि संविधान का अनुच्छेद–355 संघ सरकार को भी गम्भीर दायित्व प्रदान करता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सन् 1990 में बनी 'राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद' सर्वोच्च निकाय है। इसे तकनीकी सहायता संयुक्त आसूचना समिति, रणनीति नीति ग्रुप तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड से प्राप्त होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भूमिका इस तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह रॉ एवं आसूचना ब्यूरो सहित अन्य स्रोतों से प्राप्त खुफिया जानकारी

प्रधानमंत्री को उपलब्ध कराता है। विदेशों में गुप्तचरी हेतु 'रॉ' तथा देश के आन्तरिक जासूसी हेतु आसूचना ब्यूरो कार्यरत है। भारत–चीन युद्ध में बना विशेष सीमान्त बल भी 'रॉ' के अधीन रहते हुए सीमाओं की आसूचना, निगरानी एवं अन्य तत्संबंधी कार्य निष्पादित करता है।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन विविध प्रकार के अर्द्धसैन्य बल सम्पूर्ण आन्तरिक सुरक्षा तंत्र के हाथ–पैर है। इसी प्रकार राज्यों में भी राज्य पुलिस की गुप्तचर इकाइयाँ है। आन्ध्रप्रदेश जैसे राज्यों में विशेष पुलिस बल (जैसे–ग्रहाउण्ड) कार्यरत है। राज्यों की सशस्त्र पुलिस दंगों या आतंकवाद जैसी घटनाओं में विशेष भूमिका निर्वाहित करती है। राज्यों के सशस्त्र बलों की कुछ बटालियन केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशित –नियंत्रित की जाती है। सेना के तीनों अंगों में भी खुफिया कमाण्डों, पैरा कमाण्डों तथा अन्य इकाइयाँ कार्यरत है जो नागरिक प्रशासन एवं आन्तरिक सुरक्षा के लिए उपयोगी एवं निर्णायक भूमिका निभाती है।

परन्तु आतंकवाद, संगठित अपराध एवं नक्सलवाद आदि से जूझने के लिए थानों में पर्याप्त प्रशिक्षित स्टाफ एवं अत्याधुनिक उपकरणों का प्रायः अभाव होता है। जहाँ तक कानूनों के निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन का प्रश्न है, भारत में नीतियों एवं कानूनों की भरमार है किन्तु उनका प्रभावी क्रियान्वयन सदैव एक समस्या रहा है।

राष्ट्रीय सुरक्षा 1980 एक प्रभावी एवं विशद् कानून होते हुए भी इसका समुचित क्रियान्वयन कम ही हुआ है। आतंकवाद नियंत्रण हेतु सन् 1985 में बना टाडा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन सरकार ने समाप्त कर दिया तथा सन् 2002 में पोटा लागू किया जिसे संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकार ने सन् 2004 में समाप्त किया। इस प्रकार आतंकवाद जैसी गम्भीर मुद्दों पर भी राजनीतिक सहमति नहीं है। कठोर कानून–निर्माण की दिशा में सन् 1999 में महाराष्ट्र द्वारा बनाए गए मकोका कानून की पर्याप्त चर्चा होती है जो संगठित अपराधों पर नियंत्रण हेतु बनाया गया था किन्तु जब 2004 में ऐसे कानून राजस्थान (राकोका) तथा गुजरात (गुजकोका) बनाए गए तो उन्हें भी केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई।

अतः कानूनों के निर्माण के साथ–साथ उनका क्रियान्वयन भी सही व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए तभी बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना किया जा सकता है।

यद्यपि राजस्थान में पासा (राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 2006) के माध्यम से शराब–भू–ड्रग माफिया जैसे अपराधों को गैर–जमानती बनाकर कठोरता की ओर कदम बढ़ाए गए है। इस कानून के माध्यम से आदतन अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलकर, सम्पूर्ण रिकॉर्ड बनाकर जिला दण्डनायक के सम्मुख इस्तगासा प्रस्तुत किया जाता है। आरोप एवं तथ्यों की जाँच के पश्चात् जिला दण्डनायक अभियुक्त को निरूद्ध करते है तथा गिरफ्तारी के 15 दिन पश्चात् पास के विशेष न्यायिक बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है तथा इसके पश्चात् अभियुक्त को एक वर्ष के लिए जेल भेज दिया जाता है। अभियुक्त पर विचाराधीन अन्य प्रकरणों की कार्यवाही इसके समान्तर चलती रहती है।[6]

राजस्थान की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा स्थिति

राजस्थान राज्य की 1040 किमी. अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है जिसमें 4 महत्वपूर्ण जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर आते है। गंगानगर जिले की 204 किमी. सीमा पाकिस्तान से तथा 115 किमी. सीमा पंजाब राज्य से लगती है। राजस्थान की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का उपयोग कर पाकिस्तान की इन्टेलीजेन्स एजेन्सी आई. एस.आई. विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देती है। इनमें आतंकवादियों को प्रशिक्षण, तस्करी, जासूसी तथा फर्जी पासपोर्ट आदि बनाकर देश के अन्दर सामरिक महत्व के स्थानों पर तोड़–फोड़ करने वाली घटना शामिल है। आई.एस.आई. द्वारा सिक्खों व मुसलमानो की भावनाओं का फायदा उठाकर सिक्ख व मुसलमान नवयुवकों को पाकिस्तान में प्रशिक्षण देकर भारत के अन्दर विध्वंसकारी घटनाएँ करवाई जाती रही है। राजस्थान राज्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण राज्य में सेना के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है। इसी कारण पाकिस्तान की आई.एस.आई. सामरिक महत्व की महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने हेतु प्रयासरत रहती है। भारत में विभिन्न स्थानों पर आतंकवादी हमलों व समय–समय पर जासूसों की गिरफ्तारी से यह जाहिर होता है कि पाकिस्तान की आई.एस.आई. पूरे देश भर में अपना जाल बिछाने की कोशिश में रहती है। समय–समय पर सहयोगी गुप्तचर एजेन्सियों से आतंकवादियों की गुप्त योजनाओ/सूचनाओं की जानकारी प्राप्त होने पर इस शाखा द्वारा समस्त पुलिस अधीक्षकों, जोन अधिकारियों एवं महानिरीक्षक पुलिस, रेन्जेज को अलर्ट जारी किये गये। जिससे राज्य में कोई अप्रिय घटना को घटित होने से रोका जा सके।[7]

आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था

देश की सुरक्षा व्यवस्था को मोटे तौर पर दो रूपों में विभक्त किया जाता हैः–

(1) बाह्य सुरक्षा एवं (2) आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था

बाह्य सुरक्षा व्यवस्था

एक राष्ट्र को उसके बाह्य पड़ोसी व दुश्मन राष्ट्रों द्वारा जो खतरा उत्पन्न होता है एवं बाहरी सीमाओं पर जो सुरक्षा व्यवस्था इसकी हिफाजत के लिए प्रयोग में लायी जाती है। वह बाह्य सुरक्षा व्यवस्था कहलाती है। इसके लिए हमारे पास राष्ट्र की तीनो सेनाओं (जल, थल, वायु) का समान रूप से दायित्व निर्धारित है। साथ ही साथ बी.एस. एफ. एवं आई.टी.बी.पी. जैसी केन्द्रीय संगठन भी पूरी सहायता करते है तथा व्यापक गुप्तचर व्यवस्था भी रखी जाती है।

आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था

किसी भी देश में कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। ऐसे उपाय किये जाते है जिसमें किसी देश की बाह्य सुरक्षा के आवश्यक कार्यो के साथ–साथ राज्य के लिए उसके आन्तरिक भागों में कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था, जन–जीवन को अस्त–व्यस्त न होने के लिए जो कार्य किये जाते है उन्हें उस देश की आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था कहते है। देश में शासन करने वाली सरकार का यह दायित्व है कि वह उस देश में ऐसी व्यवस्था करे कि आम व्यक्ति

स्वतंत्रापूर्वक अपना जीवनयापन कर सके उसे असुरक्षा की भावना न सतायें।

आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था की चुनौतियाँ

भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश में उसके धर्म निरपेक्ष समाजवादी व सामाजिक न्याय के प्रति स्वरूप के कारण आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था को भी खतरा है। अनियंत्रित रूप से बढ़ती आबादी, तीव्र औद्योगिकीकरण, शहरीकरण की समस्या, सामाजिक व नैतिक मूल्यों का हास, सामाजिक न्याय की मांग, बढ़ते जन–आंदोलन व अपराधों के कुप्रभावों से बचाव हेतु भी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होती है।

आज बढ़ता आतंकवाद, साम्प्रदायिक आंदोलन, अन्तर्राष्ट्रीय जासूसी व गुप्तचरी, धर्म व भाषावाद, नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। देश की सुरक्षा व्यवस्था का उन सभी छोटे–बड़े तत्वों, क्षेत्रों आदि से गहरा सम्बन्ध है जो मिलकर एक राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण करते है।

कट्टर धार्मिकता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता असन्तोष, बढ़ता आतंकवाद, पूर्वोत्तर का असन्तोष, शहरी औद्योगीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च व निम्न वर्गो व जातियो के मध्य असमानता के कारण उत्पन्न समस्याएँ, राजनैतिक असंतोष, सामाजिक असंतोष आदि मुख्य तत्व है वहीं आन्तरिक सुरक्षा के लिए खुली चुनौतियाँ भी है। जन समूह में किसी कारण उत्पन्न हुआ असंतोष ही एक मुख्य तत्व है जिसके इर्द–गिर्द ही अन्य तत्व कार्य करते है। हर समस्या जैसे साम्प्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रीयता, औद्योगिकता, कृषि, आतंकवाद या युवा असंतोष आदि समय व परिस्थितियों के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेते है। समय–समय पर देश में गृह व रक्षा मंत्रालय द्वारा अनेक आयोग, समितियाँ नियुक्त कर आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने हेतु उपाय प्राप्त किये गये है।

आन्तरिक सुरक्षा के मुख्य खतरे

बाहरी आक्रमण

दुश्मन राष्ट्रों द्वारा हमारे देश पर आक्रमण करना एवं अपने एजेन्ट्स भेजकर आतंरिक सुरक्षा व्यवस्था को खतरा पहुँचाने वाले कार्य जैसे– आतंकवाद, बम विस्फोट जैसी गतिविधियों के द्वारा छद्मयुद्ध आदि बाहरी आक्रमण में शामिल है।

आर्थिक कारण

(क) कृषक असंतोष
(ख) औद्योगिक श्रमिक आंदोलन
(ग) आर्थिक अपराध, बैंक फ्रॉड, स्मगलिंग व फर्जी नोटों का प्रचलन

राजनैतिक कारण

(क) क्षेत्रीय आन्दोलन
(ख) भाषायी आन्दोलन
(ग) आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरना, हड़ताल
(घ) राज्य कर्मचारियों की हड़ताल

सामाजिक कारण

(क) शासकीय सेवाओं में भ्रष्टाचार
(ख) जातिवाद
(ग) नक्सलवाद एवं रंगभेद

साम्प्रदायिक असंतोष

6 आतंकवाद
7 विदेशी एजेन्ट्स द्वारा जासूसी एवं विध्वंसकारी गतिविधियाँ

उपरोक्त आन्तरिक सुरक्षा के मुख्य खतरों के अलावा भी अन्य कई ऐसे खतरे है जो आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था को हानि पहुचाते है जैसे– घृणा अपराधी, विप्लव, राजद्रोह आदि।

घृणा अपराध

घृणा अपराध उन अपराधों का कहा जाता है जिसमें घृणा करने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को उनकी सामाजिक स्थिति जैसे– नस्ल, वंश, वर्ग, लिंग, धर्म, आयु, राष्ट्रीयता, भाषा या राजनीतिक विचारधारा के कारण हिंसा का शिकार बनाता है। ऐसे अपराधों को अभिनति प्रेरित अपराध भी कहा जाता है।

विप्लव

किसी सम्प्रभु राष्ट्र के विरूद्ध उन आन्तरिक हिंसात्मक उग्र आन्दोलनों को 'इनसर्जेन्सी' या विद्रोह कहा जाता है जो क्रांति के रूप में संगठित नहीं होते है बल्कि क्रांति को उकसाने वाले कृत्य की श्रेणी में आते है।

बाहरी आक्रमण, कृषक असंतोष, औद्योगिक श्रमिक आन्दोलन, हड़तालें, धरने आदि आन्तरिक सुरक्षा के खतरों पर तो फिर भी काबू (नियंत्रण) किया जा सकता है परन्तु आतंकवाद जैसा खतरा तो वर्तमान में अपना भयावह रूप धारण कर रहा है साथ ही साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता, भाषावाद, जातिवाद भी अपने–अपने पैर पसार रहे है।

यद्यपि आन्तरिक सुरक्षा को बनाए रखने में पुलिस अपनी जी–जान से कोशिश करती है। आतंकवाद आज एक राज्य की, राष्ट्र की ही नही विश्व की समस्या बन गया है।

आतंकवाद

अंग्रेजी के Terror शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द Terrere से हुई है, जिसका अर्थ है– डराना। कन्वेन्थन ऑन प्रिवेन्शन एण्ड पनिशमेन्ट ऑफ टैरर, 1973 के दौरान स्वीकार की गई परिभाषा के अनुसार – ''आतंकवाद का अर्थ उन आपराधिक कृत्यों से है जो किसी राज्य के विरूद्ध उन्मुख हो और जिनका उद्देश्य कुछ विशिष्ट व्यक्तियों या जनमानस के मन में भय या आतंक उत्पन्न करना हो।''

साधारण भाषा में किसी भी समस्या का उग्ररूप ही आतंकवाद कहलाता है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने आतंकवाद की विस्तृत परिभाषा में विस्फोटकों, आग्नेयास्त्रों तथा उन विध्वंसकारी वस्तुओं के प्रयोग को सम्मिलित किया है जो सेना द्वारा प्रयोग में ली जाती है तथा उनसे जान–माल को भारी हानि पहुँचती है। इसके अतिरिक्त भय दिखाने, एकता, सुरक्षा तथा सम्प्रभुता को चोट पहुँचाने, जनता या लोक प्राधिकारियों की हत्या करने, बन्दी बनाने या इस माध्यम से सरकार को प्रभावित करने या इन गतिविधियों हेतु वित्त, सामग्री या सुविधा प्रदान करने अथवा आतंक को प्रश्रय प्रदान करने या उकसाने की गतिविधियाँ आतंकवाद की श्रेणी में ली गई है।[8]

साधारण शब्दों में आतंकवाद वह विचारधारा या कार्यपद्धति है जिसके अन्तर्गत एक समूह या संगठन द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जनहित या राष्ट्रीय हित

का ध्यान न करते हुए हिंसा या हिंसात्मक धमकी का सहारा लिया जाता है और लोगों में आतंकवाद फैलाने के लिए निर्दोष लोगों, यहाँ तक कि बच्चों, बूढ़े और महिलाओं की भी अंधाधुंध हत्या करके जान–माल की असीम क्षति करने में तनिक भी हिचकिचाते नहीं। जनता व सरकार में भय दिखाने के लिए आतंकवादी आवश्यकतानुसार आत्मघाती हमले भी करते है।

आतंकवादी हमले कई रूपों में देखे जा सकते है। जैसे– भीड़भाड़ वाले बाजारों में, रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टेण्डो पर, कार या टैक्सी, यहाँ तक सूटकेस, रेडियो या खिलौना में साधारण बम, टाइम बम या अन्य खतरनाक विस्फोटक सामग्री आदि को रखकर दहशत का माहौल बनाया जाता हैं आतंकवादी उच्च पदस्थ अधिकारियों व मंत्रियों के परिजनों का अपहरण, हत्या या फिर विमानों का अपहरण तक करते है और अपनी मांगे सरकार के समक्ष रखते है, यदि उनकी मांगे सरकार ने न मानी तो वे निर्दोष लोगों को

मार देते है, विमानों व महत्वपूर्ण स्थलों, इमारतों को बम विस्फोट से उड़ा देते हैं जिनके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण निम्नलिखित है।

न्यूयार्क के वर्ल्डट्रेड सेंटर व पैंटागन पर हमला (11 सितम्बर, 2001), भारतीय संसद भवन पर हमला (13 दिसम्बर, 2001), दिल्ली के लाल किले पर हमला (13 दिसम्बर, 2002), 24 दिसम्बर, 2002 को गुजरात स्थित अक्षर धाम मंदिर, 7 मार्च, 2005 को वाराणसी में संकटमोचन मंदिर एवं वाराणसी कैण्ट स्टेशन पर, 8 सितम्बर, 2006 को मालेगाँव कब्रिस्तान में बम विस्फोट करके सैकड़ों व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया । इसी प्रकार भारत ही नहीं पूरे विश्व को दहला देने वाली आतंकी घटना 26 नवम्बर, 2008 को मुम्बई में हुई और 13 मई, 2008 को जयपुर में तीन अलग–अलग स्थानों पर तीन बम विस्फोट किये गये[9] और 2013 में बोधगया में भी बम–विस्फोट की घटना इसी का एक उदाहरण है

आतंकवाद के विविध रूप

क्र.सं.	प्रकार	विशेषता	उदाहरण
1	नृ–जातिय–राष्ट्रवाद आतंकवाद	सांस्कृतिक आधार पर किसी नस्ल, प्रजाति या वर्ग को श्रेष्ठ मानकर उसके समर्थन में हिंसा का सहारा लेकर मत स्थापना	श्रीलंका में तमिल, भारत में पूर्वोत्तर का विप्लव
2	धार्मिक आतंकवाद	किसी धर्म को आधार बनाकर आतंकवादी गतिविधियाँ करना	मुस्लिम आतंकवाद (तालिबान इत्यादि)
3	विचारधारा उन्मुख आतंकवाद	किसी विशिष्ट विचारधारा को आधार बनाकर संचालित आतंकवाद	
▪	वामपंथ आतंकवाद	माओवादी जो कि हिंसा के माध्यम से भू–स्वामित्व परिवर्तन के समर्थक है।	भारत में फैला नक्सलवाद
▪	दक्षिणपंथ आतंकवाद	यथास्थिति बनाए रखने के समर्थक या किसी पुरानी स्थिति को प्राप्त करने के लिए समर्थ	जर्मन का नाजीवाद, इटली का फासीवाद, अमेरिका का कू–क्लम्स–क्लान, डेनमार्क का ग्रीन जैकेट्स
4	राज्य–प्रायोजित आतंकवाद	विदेश नीति के अन्तर्गत प्रोक्सी युद्ध जो कि सरकार द्वारा प्रायोजित होता है	बाल्कन में स्लेव, बुल्गारिया द्वारा युगोस्लाविका के विरूद्ध मेसीडोनियन प्रोत्साहन तथा खाड़ी देशों के युद्ध
5	स्वापक आतंकवाद	नशीली दवाओं के अवैध व्यापार से लिप्त व्यक्तियों द्वारा आतंकवाद	लैटिन अमेरिकी, एशियाई तथा अरब देश
6	आर्थिक आतंकवाद	नकली मुद्रा का निर्माण करके पड़ौसी राष्ट्र को प्रभावित करना	भारत में पड़ौसी देशों से आ रहे नकली मुद्रा
7	साइबर आतंकवाद	कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आतंक फैलाना	सम्पूर्ण विश्व (घातक परिणाम आने शेष है)

आतंकवाद के सभी रूप घातक होते है। वर्तमान में साइबर आतंकवाद का आतंक सारे विश्व पर छाया हुआ है।

साइबर अपराध (आतंकवाद)

21वीं सदी को सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सदी कहा जा रहा है। इन्टरनेट तथा इससे सम्बन्धित अन्य सुविधाओं ने सम्पूर्ण संसार को एक ''वैश्विक गाँव'' में तो तब्दील कर दिया है किन्तु इससे सम्बन्धित जो अपराध सामने आ रहे है वे बहुत जटिल तथा बहुआयामी प्रकृति के है। किसी की साइट को हैक करना, तथ्यों को बदल देना, अश्लीलता का प्रसार करना, रास्ते में सन्देश पकड लेना या विकृत कर देना, भ्रमित प्रचार करके धोखा देना तथा वाइरस जैसे माध्यम से तन्त्र को ठप्प करना, ए. टी.एम. मशीन से छेड़छाड़, किसी के इन्टरनेट पासवर्ड को हैक करना आधुनिक युग के अपराध (साइबर) है।

लगातार बढ़ते साइबर अपराधों को नियंत्रित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (नियमन) (2000) अधिनियम अस्तित्व में आ चुका है। इसके अलावा विभिन्न पुलिस संगठनों में साइबर–अपराध शाखाओं का गठन किया जा रहा है।[10]

भारत में आतंकवाद प्रसार के प्रमुख कारण

1 भूमि का असमान वितरण;
2 ऐतिहासिक मुद्दे तथा वर्तमान से टकराव;
3 कुछ वर्गो, जातियों या क्षेत्रों का अत्यधिक पिछड़ापन;

4 धार्मिक उन्माद;
5 भारत की नरम राज्य की छवि;
6 पड़ोसी राष्ट्रों से तनावपूर्ण सम्बन्ध;
7 कमजोर आसूचना एवं खुफिया तंत्र, समन्वय का अभाव तथा नौकरशाही परिवेश;
8 कमजोर तथा लचीले कानून तथा शिथिल न्यायिक प्रणाली;
9 राष्ट्रप्रेम का अभाव;
10 संकीर्ण स्वार्थो से युक्त अपरिपक्व राजनीति;
11 विस्फोटक सामग्री जैसे – अमोनियम नाइट्रेट, जिलेटिन–छड़ें, छर्रे नट–बोल्ट तथा अन्य विस्फोटक सामग्री की सहजता से उपलब्धता;
12 बहुत सारे राष्ट्रों के साथ प्रत्यर्पण सन्धि का अभाव;
13 जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल की कमी; और
14 मानवाधिकारों की रक्षा तथा आतंकवाद नियंत्रण के मध्य असंतुलन।

राकेश शर्मा निशिथ का मत है कि – ''यदि अपमान की खाद हो, नफरत की मिट्टी और समर्थन रूपी पानी की बूँदे हो तो एक छोटे से उद्देश्य का जो ज्वालामुखी फूटता है उसे स्वयं अपने स्वरूप और अन्दर की विनाशकारी शक्तियों का अनुमान नहीं होता है और जड़ पर आतंकवाद का छोटा सा पौधा ही देखते ही देखते एक वटवृक्ष बन जाता है।''

इतिहास गवाह है कि आतंकवाद का भस्मासुर अपने प्रश्रयदाता को ही निगल जाता है।[11]

नक्सलवादी आतंकवाद

नक्सलवादी आतंकवाद की शुरूआत 3 मार्च, 1967 में पश्चिम बंगाल में हुई। इसमे लिप्त तीन व्यक्ति थे – लापा किशन, सांगू किशन तथा रतिया किशन। नक्सलवादी आतंकवाद को प्रतिपादित कर बढ़ावा देने में चीन की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। चारू मजूमदार तथा कानू सन्याल भारत में नक्सलवाद को पोषित करने में अग्रणी रहे है।

नक्सलवादी गतिविधियाँ शोषित, निर्धन और जनजातियों के हितों के लिए होती रही है लेकिन अवैधानिक तरीके अपनाकर भय और आतंक का माहौल उत्पन्न करके पूर्व जमीदारों, साहूकारों और शोषण करने वालों की हत्या कर देते है। नक्सलवाद, कानून व्यवस्था स्थापित करने में एक समस्या बनकर सामने आता है। नक्सलवादी आन्दोलन भूमिहीन श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रारम्भ हुआ। नक्सलवादी जमीदारों, साहूकारों और पुलिस अधिकारियों को अपना निशाना बनाते है और उन्हें मार देते है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बनाए गए आतंकवाद निरोध कानून

1980 के दशक में पंजाब, उत्तरी पूर्वी भारत व कश्मीर आतंकवाद से पीड़ित रहे, जिसके कारण पूरे देश को संकट का सामना करना पड़ा। देश के अनेक भागों में शक्तिशाली आतंकवादी निरोधक कानून की मांग उठने लगी। 1985 में आतंकवादी गतिविधि निरोधक अधिनियम (Terrorist Activities Dirruptive) पास हुआ। 1980 के दशक में अनेक राज्य स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। केन्द्र व राज्यों के बीच में दूरी बढ़ रही थी। ऐसे में टाडा (TADA) जैसे कानूनों ने राज्यों की स्वायत्तता पर अंकुश लगाने का काम किया। आतंकवाद के नाम पर केन्द्र किसी भी राज्य में सुरक्षा बलों को भेज सकता था। राज्य के मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना केन्द्रीय सुरक्षा बल राज्य के किसी भी हिस्से में जाकर आतंकवादियों को ढूंढने का काम कर सकते थे नब्बे के दशक में टाडा का विरोध बढ़ा अन्ततोगत्वा तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सरकार ने टाडा को वापस ले लिया। कई वर्षो तक आतंकवाद से निपटने पर बहस चलती रही, पर कोई शक्तिशाली कानून पास नहीं किया जा सका।

2002 में तत्कालीन एन.डी.ए. (N.D.A.) सरकार ने पोटो (POTO) (Prevention of Terrorism Ordinance) पारित किया, जो बाद में संसद में पास करके 2003 में पोटो बना दिया गया। पोटो के भी कई प्रावधानों पर मानव अधिकार संगठनों ने विरोध किया। सुरक्षा बलों को दिए गए निरंकुश अधिकारों ने पोटो के दुरूपयोग को बढ़ा दिया। बहुत सारे राज्यों में पोटो को लेकर विरोध बढ़ने लगा और इसलिए 2004 के बाद यू.पी.ए. (UPA) सरकार ने पोटो को वापस ले लिया और यह माना जाने लगा कि पहले से मौजूद कानून पर्याप्त है। किसी अन्य आतंकवादी निरोधक कानून की आवश्यकता नहीं है।

26 नवम्बर, 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले ने एक बार फिर आतंकवाद के ऊपर कानून की बहस को जन्म दिया केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय जाँच संस्था एन.आई.ए.(NIA) बनाई, जिसका काम सभी राज्यों में हुए आतंकवादी हमलों की जाँच करना, राज्यों की आतंकवादी निरोधी संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना और आतंकवाद की घटना के घटित होने से पहले उन्हें रोकने का प्रयास करना है।

2012 के आरम्भ में केन्द्र सरकार ने आतंकवाद से लड़ने के लिए सभी आतंकवादी निरोधी संस्थाओं को जोड़कर एक एकीकृत राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक परिषद् एन.सी.टी.सी. (NCTC) बनाने का प्रस्ताव दिया है। राज्यों ने इसके स्वरूप और इसके बनाए जाने की प्रक्रिया का विरोध किया है।

प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलकर प्रस्तावित परिषद् आम सहमति बनाने का प्रयास किया किन्तु इसका कोई नतीजा नहीं निकला।

आवश्यकता इस बात की है कि सभी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दल भारत की भौगोलिक राजनैतिक व सामाजिक स्थिति को देखते हुए संघीय सुरक्षा को बिना नुकसान पहुँचाए एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण करे। जिससे आन्तरिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सके।[12]

जातिवाद

वर्तमान में जातिवाद मे भी आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने में बाधाएँ उत्पन्न करता है।

अपनी जाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है। जातिवाद जाति के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता की देन है। यह अपनी जाति के प्रति अनन्य आस्था/भावना है, जो अपनी जाति के उद्देश्य के सम्मुख अन्य जातियों के हितों को नजर अंदाज करती है। अतः अपनी ही जाति को श्रेष्ठ मानना, अपनी ही जाति के व्यक्ति का पक्षपात करना और उसे आगे बढ़ाना और अपनी जाति के उद्देश्यों के लिए अन्य जातियों की अवहेलना करना ही जातिवाद कहलाता है।

भारत में जातीय आधार पर सामाजिक संस्तरण एवं विषमता के परिणामस्वरूप आज भी विभिन्न जातियों में ऊँच–नीच की भावनाएँ पाई जाती है। नौकरियों, चुनावों, शिक्षण संस्थाओं आदि में आज जातिवाद गहरी पैठ जमा चुका है। जातिवाद, समाज एवं देश को विखण्डित ही नहीं कर रहा है अपितु समाज में अव्यवस्था कुरीति, अकुशल प्रशासन, भ्रष्टाचार और परस्पर संघर्ष को भी बढ़ावा दे रहा है। इस प्रकार जातीय संघर्षो का परिणाम हमें अक्सर दंगों, मारकाट, समूह हिंसा, लूटमार आदि के रूप में देखने को मिलता है।

जातीय हिंसा का विस्फोट प्रायः समय–समय पर पूरे देश में होता रहा है लेकिन जातीय झगड़ों में बिहार के संघर्ष सर्वाधिक क्रूर एवं खूनी रहे है। ये जाति के साथ ही वर्गीय आधारों पर भी चलाए जाते रहे है, जिसके लिए जातीय सेनाएँ भी बनाई जाती रही है। उदाहरणार्थ रणवीर सेना, गंगा जातीय सेना, क्रान्ति किसान संघ आदि के नाम लिए जाते है।

अतः योग्यता, चरित्र और समता प्रत्येक जाति के व्यक्ति की प्रतिष्ठा और जनप्रियता के आधार बनाकर ही बदलती हुई परिस्थितियों में जाति संघर्षो को समाप्त करने का प्रयास किया जा सकता है।

साम्प्रदायिकता

साम्प्रदायिकता विभिन्न धर्मो के निहित स्वार्थो के पारस्परिक संघर्ष की ही छद्म अभिव्यक्ति है, एक विशेष धर्म के अनुयायियों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हित आपस में एक है और दूसरे धार्मिक सम्प्रदायों से पूर्णतः भिन्न है, साम्प्रदायिकता की विचारधारा को जन्म देता है।

भारत बहुधर्मी सांस्कृतिक विरासत वाला देश है। साम्प्रदायिकता का बीज भारत में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान पड़ा। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में 'फूट डालों और राज करो' की नीति अपनाकर विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के मध्य मतभेद और झगड़ो को बढ़ावा दिया और उनकी एकता को तोड़ा। जिस सम्प्रदाय से खतरा हो उसके विरूद्ध दूसरे सम्प्रदाय को संरक्षण एवं सहयोग प्रदान किया। अंग्रेजों की इस नीति ने 19वीं शताब्दी के मध्य में हिन्दू और मुसलमानों के बीच साम्प्रदायिकता के आधार पर पृथकतावाद की पृष्ठभूमि तैयार कर दी।[13]

खालिस्तान की माँग साम्प्रदायिकता की ही उपज है। 1947 में देश का विभाजन साम्प्रदायिकता का ही दुष्परिणाम था। विभाजन की त्रासदी को स्वतन्त्रता के 66 वर्ष बाद भी देश भुगत रहा है। साम्प्रदायिकता तनाव, हिंसा, आतंकवाद अधिक तीव्र हुए है। साम्प्रदायिकता राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है।

साम्प्रदायिकता से लोगों में राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष उत्पन्न हो गये राम जन्म भूमि और बाबरी मजिस्द के झगड़े से पूरे विश्व के हिन्दू–मुसलमान प्रभावित हुए है। राजनीतिक दलों में फूट, तनाव, संघर्ष और घृणा, साम्प्रदायिकता का ही दुष्प्रभाव है। देश में राजनीतिक अस्थिरता का वातारण पैदा हो जाता हैं। समाज में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाती है। औद्योगिक विकास में बाधाएँ आती है। भारतीय संविधान की मूल भावनाओं का उल्लंघन करने वाले साम्प्रदायिक संगठनों की पहचान करके उन्हें समाप्त कर देना चाहिए जिससे साम्प्रदायिकता को बढ़ने से रोका जा सके।[14]

भारत में भौगोलिक पृथकता, सांस्कृतिक भिन्नता, विभिन्न भाषाओं का मिलाप आदि विशेषताओं के कारण जातिवाद, साम्प्रदायिकता के साथ–साथ क्षेत्रवाद, भाषावाद और पृथकतावाद का जन्म हुआ और ये सब हमारे देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए गम्भीर खतरे साबित हो रहे हैं। इन सभी खतरों की अपनत्व की भावना ने आतंकवाद को बढ़ावा दे रखा है जो किसी एक राष्ट्र को ही नहीं पूरे विश्व को निगलना चाहता है। इसलिए आतंकवाद को समाप्त करना बहुत आवश्यक हो गया है पुलिस, जनता और सरकार तीनों को एकजुट होकर आतंकवाद को समाप्त करने की मुहिम छेड़नी चाहिए तभी सफलता हासिल कर आन्तरिक सुरक्षा बनाई रखी जा सकती है।

आन्तरिक सुरक्षा के खतरो को /आतंकवाद नियंत्रण के उपाय

आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद या उग्रवाद इत्यादि हिंसक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाना किसी भी शासन व्यवस्था के लिए सरल एवं सहज कार्य नहीं हैं। परन्तु नामुमकिन कुछ भी नहीं है। चूँकि आतंकवाद या अन्य हिंसक प्रवृत्तियों के मूल में अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक प्रशासनिक, भाषायी तथा क्षेत्रीय कारण विद्यमान रहते है। अतः आतंकवाद नियंत्रण हेतु बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता होती है। इस क्रम में कुछ सुझाव इस प्रकार हैः–

1 आतंकवाद या अन्य उग्रवादी गतिविधियों के नियंत्रण की श्रेष्ठतम पद्धति 'आर्थिक विकास' से जुड़ी है। जब तक मानव समाज में निर्धनता भेदभाव, शोषण तथा बेरोजगारी इत्यादि विद्यमान है तब तक शान्ति की कल्पना करना निरर्थक है। जिस प्रकार वैश्विक व्यापार युद्धों को रोकता है, उसी प्रकार आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक उत्थान उग्रवादी घटनाओं पर अंकुश लगा सकता है। काम–धन्धों में संलग्न युवा सहजता से हिंसा के मार्ग पर नहीं जा सकेगा।

2 सामान्यतः यह सुझाव दिया जाता है कि आतंकवाद पर नियंत्रण हेतु टाडा या पोटा से भी अधिक कठोर कानून होना चाहिए, किन्तु यह भी पर्याप्त नहीं होगा। भारत में कानूनों की कोई कमी नहीं है। समस्या तो कानूनों के शिथिल क्रियान्वयन एवं जटिल न्यायिक प्रणाली की है। अतः कठोर कानून निर्माण से अच्छा यह होगा कि देश की न्यायिक प्रणाली में शीघ्र समयानुकूल सुधार किए जाएँ।

3 जन सहभागिता के बिना किसी भी लोक नीति, कानून, योजना या कार्यक्रम की सफलता सर्वथा संदिग्ध है अतः प्रत्येक स्तर पर समाज या समुदाय से पुलिस एवं प्रशासन को सहायता मिले। ऐसा तब ही सम्भव है जबकि आम जन में सरकारी तंत्र की निष्पक्षता, तत्परता, प्रतिबद्धता तथा कुशलता पर विश्वास हो।

4 आतंकवादी अपने तीन निर्णय स्वयं करते है। ये है– लक्ष्य, समय तथा हथियार। साथ ही विगत दशकों से आत्मघाती बनने वाली प्रवृत्ति भी बढ़ी है। अतः आतंकवाद से जूझने हेतु बनने वाली

सरकारी नीति एवं रणनीति इन तथ्यों के इर्द–गिर्द होनी चाहिए।

5 द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने आतंकवाद का सामना करने हेतु जो सुझाव दिए है वे आयोग की पाँचवी रिपोर्ट (लोक व्यवस्था) सातवीं रिपोर्ट (संघर्ष समाधान हेतु क्षमता निर्माण) तथा आतंकवाद पर पृथक से रिपोर्ट में वर्णित हैं, उनका सार इस प्रकार है।

I. आतंकवाद का सामना करने हेतु एक बहुआयामी रणनीति को अपनाया जाए जिसमें राजनीतिक सर्वानुमति, सुशासन एवं सामाजिक–आर्थिक विकास, विधि के शासन का सम्मान, राजद्रोहात्मक गतिविधियों पर अंकुश, समुचित वैधानिक ढ़ाँचे का निर्माण तथा क्षमता–वर्द्धन इत्यादि सम्मिलित हो।

II. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 में संशोधन करके आतंकवाद गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण प्रावधान जोड़े जाएँ।

III. आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े अभियुक्तों की जमानत आसानी से न हो ऐसे प्रावधान किए जाएँ। इस हेतु एक समीक्षा समिति गठित होनी चाहिए। यह समिति ऐसे भी प्रयासों की समीक्षा करे।

IV. पुलिस के समक्ष अभियुक्त द्वारा स्वीकार किया गया अपराध न्यायालय में भी स्वीकार होना चाहिए। इस हेतु अभियुक्त के बयानों की विडियोग्राफी करवायी जायें।

V. आतंकवाद प्रकरणों की सुनवाई हेतु पृथक से विशेष फास्ट ट्रेक न्यायालय होने चाहिए।

VI. सी.बी.आई. को आतंकवाद तथा अन्य नयी प्रकृत्ति के प्रकरणों की जाँच हेतु अधिकृत करने हेतु कानून में संशोधन होना चाहिए तथा सी.बी.आई. की एक शाखा आतंकवाद पर संघीय जाँच अभिकरण का कार्य करे।

VII. रीयल एस्टेट जैसे नए क्षेत्रों और आतंकवाद को वित्तीय सहायता देने वाली गतिविधियों की वित्तीय आसूचना इकाई द्वारा निगरानी की जानी चाहिए। अतः सभी लॉण्ड्रिंग कानून में भी संशोधन किया जाए।

VIII. आतंकवाद पर नियंत्रण पाने हेतु सम्बन्धितों की सम्पत्ति, कोष, बैंक खाते जमा तथा नकदी इत्यादि सरकार द्वारा अवरोधित कर देनी चाहिए।

IX. सम्पूर्ण पुलिस तंत्र में व्यापक सुधार किए जाएँ ।

X. बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र बनाए जाने चाहिए। (इस दिशा में भी कार्य शुरू हो चुका है)

XI. विशिष्ट प्रकरणों में गवाहों की अमानत (सुरक्षा) बनाए रखने की गारण्टी दी जानी चाहिए।

XII. देश में अपराधों पर नियंत्रण हेतु 'शून्य सहनशीलता रणनीति' अपनायी जाए।

देश में कानून व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करना और आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना पुलिस का प्रथम कर्त्तव्य है।

वर्तमान में धार्मिक कट्टरतावाद, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी आदि कारकों के कारण आन्तरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ बढ़ रही है। आतंकवाद इस भय को जटिल बना रहा है। इन समस्याओं का निराकरण शिक्षा का प्रसार, रोजगार की उपलब्धता, सामाजिक सौहार्द्र धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देकर प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्र को अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सैनिक आधार को सुदृढ़ कर देश के नागरिकों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना होगा।[15]

आन्तरिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व पुलिस बल पर है। पुलिस की क्षमता जितनी प्रभावी होगी आन्तरिक सुरक्षा उतनी ही सुनिश्चित की जा सकेगी।

हालांकि पुलिस की छवि बहुत अच्छी नहीं है परन्तु बेकार छवि के पीछे सारा दोष पुलिस का ही तो नहीं होता। सारे पुलिस बल में कुछ ऐसे ईमानदार, कर्मठ, नैतिक और मानवीय मूल्यों को समझने वाले पुलिसकर्मी मौजूद है। ऐसे कुछ नाम भी गिनाए जा सकते है जिन्होंने अपने कार्यो से जनता के हृदय में अपना स्थान बनाया और आशा की कुछ किरणों को अभी भी बचाए रखने में सफलता प्राप्त की है प्रथम महिला आई.पी.एस. अधिकारी डॉ. किरण बेदी (तिहाड़ जेल सुधार) और पंजाब में आतंकवाद का सफाया करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले के.पी.एस. गिल के नाम उल्लेखनीय है।[16]

पुलिस प्रशासन में कुछ कमियों के कारण पुलिस आन्तरिक सुरक्षा के खतरों को समूल नष्ट नहीं कर पा रही है। भारतीय पुलिस प्रशासन में निम्न दोष हैः– प्रशिक्षण, आधुनिक हथियारों की कमी, बजट की कमी, राजनैतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, निष्क्रिय सूचना तंत्र, आपसी समन्वय का अभाव आदि। पुलिस प्रशासन वास्तव में अपनी जीर्ण अवस्था में स्वतंत्रता पूर्व के अंग्रेजों के बनाए प्राचीन अधिनियमों एवं नियमों पर संचालित हो रहा है, जो कि वर्तमान समय एवं परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है अतः इसमें समय के अनुरूप सुधारों की जरूरत है राजनीतिक अवसरवादिता और आधिकारिक लालफीताशाही के बीच में फँसकर पुलिस बल में सुधारों की प्रक्रिया को कभी भी पर्याप्त महत्व प्रदान नहीं किया गया। हालांकि कुछ खास समिति जैसे– धर्मवीर कमेटी, मलीमथ कमेटी, सोराबाजी कमेटी ने कुछ महत्वपूर्ण सुधारों की अनुशंषा की, मगर इनकी अनुशंषा फाइलों में धूल–चाट रही है। इसलिए पुलिस सुधारों को सुदृढ़ता से पालन करना अति– आवश्यक है।

भारत में पुलिस को एक हाथ से अधिकार दिए गए है, तो दूसरे हाथ से उन्हें छीन लिया गया है। उदाहरण के लिए के.पी.एस. गिल को जब बेअंत सिंह और नरसिंह राव ने पंजाब का आतंकवाद खत्म करने का आदेश दिया, तो गिल ने शर्त रखी की आपकी केन्द्र व राज्य सरकार मेरे काम में दखल नहीं करेगी, उन्होंने शर्ते मानी और पंजाब से आतंकवाद खत्म हो गया।

फिदाइन हो लश्कर–ए–तैयबा या हिजबुल मुजाहिद्दीन हो, सब ठिकाने लगा दिए जाएंगे, अगर हिन्दुस्तान की पुलिस को और फौज को छूट दे दी जाए तो वह मिलकर देश से आतंकवाद का सफाया करने में सफलता हासिल कर सकती है परन्तु शर्ते यह है कि वे दोनों पूर्ण ईमानदारी से अपना–अपना कर्त्तव्य निभाये।[17]

वैसे तो समयानुकूल पुलिस प्रशासन में कई सुधार किये जा रहे है : पुलिस भी अपने कर्त्तव्यों को बखूबी

निभा रही है। भारत में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक कदम उठाये जाते है।

भारत में कानून व्यवस्था (2013) कतिपय तथ्य वर्षवार आपराधिक तुलनात्मक स्थिति [18] वर्ष 2011, 2012 एवं 2013 (माह जून तक)

शीर्षक	दर्ज अभियोग (माह जून तक)			कमी / वृद्धि		प्रतिशत	
	2011	2012	2013	2011 से 2013	2012 से 2013	2011 से 2013	2012 से 2013
हत्या	730	718	761	31	43	4.25	5.99
हत्या का प्रयास	773	737	808	35	71	4.53	9.63
डकैती	11	14	27	16	13	145.45	92.86
लूट	366	357	482	116	125	31.69	35.01
व्यपहरण / अपहरण	1704	1726	2456	752	730	44.13	42.29
बलात्कार	950	999	1622	672	623	70.74	62.36
ब्लवा	385	307	245	−140	−62	−36. 36	−20. 20
न्कबजनी	2436	2388	2729	293	341	12.03	14.28
चोरी	10747	1142 1	1353 7	2790	2116	25.96	18.53
अन्य भा. द.सं.	64367	6668 2	7344 5	9078	6763	14.10.	10.14
योग भा. द.सं.	82469	8534 9	9611 2	13643	10763	16.54	12.61

उपरोक्त सारणियों को देखने के बाद कहा जा सकता है कि भारतीय पुलिस कानून–व्यवस्था बनाये रखने तथा आन्तरिक सुरक्षा स्थापित करने में अपनी जी–जान लगा रही है। पुलिस प्रशासन में कुछ कमियों के बावजूद भी पुलिस पूर्णतः नाकारा साबित नहीं हो रही है। यदि पुलिस में आवश्यक सुधार तथा आवश्यक सामाजिक सहयोग समयानुकूल हो जाये तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन पूर्णतः पुलिस आन्तरिक सुरक्षा स्थापित करने में सक्षम बन सकती है।

सन्दर्भ

1. एस.के. चतुर्वेदी, ''रोल ऑफ पॉलिस इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम'', बी.आर. पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, देहली, 1966, पृ.सं. 1
2. गौतम वीर, ''आंतरिक सुरक्षा और पुलिस'', अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, दरियागंज, नई दिल्ली 2009, पृ. सं. 1
3. डॉ. संजय कुमार, अनुराग जायसवाल, ''राष्ट्रीय सुरक्षा'' महावीर एण्ड संस, दरियागंज, नई दिल्ली, 2007, पृ.सं. 22
4. उपरोक्त, गौतम वीर, पृ.सं. 2
5. डॉ. एस.सुब्रह्माण्यम्, ''पुलिस और मानवाधिकार'', प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली, 1998, पृ.सं. 124–125
6. डॉ. सुरेन्द्र कटारिया, ''भारत में पुलिस सुधार प्रवृत्तियाँ एवं चुनौतियाँ'', नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, चौडा रास्ता, जयपुर, 2011, पृ.स. 27–29
7. राजस्थान पुलिस इण्डोर प्रशिक्षण सामग्री, राजस्थान पुलिस मुख्यालय, 2011–2012, पृ.सं. 42
8. उपरोक्त, सुरेन्द्र कटारिया, ''भारत में पुलिस सुधार प्रवृत्तियाँ एवं चुनौतियाँ'', पृ.सं. 166
9. डॉ. विरेन्द्र सिंह यादव, ''बदलते परिदृश्य में नई सहशस्त्राब्दी का भारत'', राधा पब्लिकेशन्स अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली, 2010, पृ.सं. 295
10. डॉ. निशान्त सिंह ''भारत में अपराध'' एक विश्लेषण, ओमेगा पब्लिकेशन्स अंसारी रोड़ दरियागंज, नई दिल्ली, 2008, पृ.सं. 205
11. उपरोक्त, सुरेन्द्र कटारिया, ''भारत में पुलिस सुधार प्रवृत्तियाँ एवं चुनौतियाँ,'' पृ.सं. 168
12. उपरोक्त, मिश्र, अर्द्धवार्षिक शोध पत्रिका, पृ.सं. 423
13. डॉ. संजय कुमार, अनुराग जायसवाल, ''राष्ट्रीय सुरक्षा'' महावीर एण्ड संस, दरियागंज, नई दिल्ली, 2007, पृ.सं. 23–24
14. डॉ. अभिषेक शर्मा, ''सामाजिक समस्याएँ'' शिवांक प्रकाशन बी–4 / 40 फ्रेम–2 अशोक विहार, दिल्ली, 2011, पृ.सं. 90
15. डॉ. रामकृष्ण सिंह एवं डॉ. राकेश सिंह, ''राष्ट्रीय सुरक्षा'' शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, पृ.सं. 221
16. प्रो. रविन्द्र शर्मा, डॉ. लाल चन्द, ''भारत में कानून और व्यवस्था'', पंचशील प्रकाशन, जयपुर, पृ.सं. 43
17. प्रतियोगिता दर्पण / दिसम्बर / 2012, अनिल कुमार मीणा एवं डॉ. राजेन्द्र सिंह तोमर, ''भारत की आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस'' समसामयिक लेख, पृ.स. 696
18. राजस्थान पुलिस वार्षिक रिपोर्ट 2012–2013